निर्मला जगदीशचंद्र काबरा

बनाम

परिवहन आयुक्त एवं अन्य

14 फरवरी, 1997

[के. रामास्वामी और एस. सगीर अहमद, न्यायमूर्तिगण]

मोटर वाहन अधिनियम, 1988:

धारा 207-कॉन्ट्रैक्ट कैरिज-स्टेज कैरिज के रूप में उपयोग किया जा रहा है-मोटरयान निरीक्षक ने जुर्माना लगाया- रिट याचिका यह घोषणा करने की मांग करते हुए कि अधिकारियों के पास वाहन को जब्त करने या हिरासत में लेने की कोई शक्ति नहीं है उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया-माना गया-प्राधिकरण ने उल्लंघन के लिए वाहन को सही ढंग से हिरासत में लिया था परमिट की शर्तों के अनुसार-उच्च न्यायालय ने राहत देने से इनकार कर दिया- वही परमिट जो यात्रियों की ढुलाई के लिए अनुबंध देता है, उसमें यात्रियों के नाम शामिल होने चाहिए, जो किराए या इनाम के लिए रास्ते में लेने या स्थापित किए बिना एक गंतव्य से दूसरे स्थान तक ले जा सकें। लेकिन जब परमिट धारक कोई दूसरा हो और उन्हे यात्रियों को ले जाने की अनुमति देता है और परमिट के साथ संलग्न यात्रियों की सूची में उल्लिखित लोगों को अनुबंध गाड़ी के रुप में अनुबंधित करता है और यात्रियों को एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य तक ले जाता है, यहां तक कि बिना उठाए या ले जाता है। रास्ते में सेटिंग करना आवश्यक है। इसका परिणाम यह होगा कि वाहन का उपयोग स्टेज कैरिज के रुप में किया गया है या किया जा रहा है, न कि कॉन्ट्रैक्ट कैरिज के रुप में।

एन. कृष्णासामी चेट्टी एवं अन्य **बनाम** *लाइसेंसिंग अधिकारी,* **एआईआर (1988) मैड 274, खारिज कर दिया गया।**

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या- 2622/1997

गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णय एवं आदेश दिनांक 04.12.1996 से एल.पी.ए. सं.- 1430/96 एस.सी.ए. 1996 का क्रमांक 7565।

याचिकाकर्ता की ओर से अरुण जेटली और एस. सी. पटेल।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश दिया गयाः

यह विशेष अनुमति याचिका गुजरात उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के 4 दिसंबर, 1996 को एलपीए संख्या- 1430/96 में दिए गए आदेश से उत्पन्न हुई। मोटरयान निरीक्षक ने लगाया था पांच हजार रुपये का जुर्माना 1000 आदि कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट की शर्तों के उल्लंघन के लिए। यह पाया गया कि परमिट की शर्तों के उल्लंघन में वाहन का उपयोग स्टेज कैरिज के रुप में किया जा रहा था, क्योंकि याचिकाकर्ता व्यक्तिगत किराया रु. 1.60 प्रति यात्री और वह वाहन का उपयोग एक समूह पार्टी के लिए किराये पर लिया गया पर्यटक वाहन के रुप में नही कर रहा था। याचिकाकर्ता ने निम्नानुसार राहत की मांग करते हूए उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर कीः

> "इस याचिका को अनुमति देने और उचित रिट, निर्देश और आदेश जारी करने और यह घोषित करने के लिए कि प्रतिवादी अधिकारियों के पास इस याचिका के अनुबंध ए में दिखाए गए याचिकाकर्ता के वाहनों को जब्त करने या हिरासत में लेने का कोई

> कानूनी अधिकार या शक्ति या अधिकार नही है। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 207 केवल यात्रियों से व्यक्तिगत किराया वसुलने के आरोप पर है।"

विद्वान एकल न्यायाधीश और डिवीजन बेंच ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (संक्षेप में, 'अधिनियम') के प्रावधान के साथ पढी गई धारा 207(1) के सामने राहत देने से इनकार कर दिया। अधिनियम की धारा 207 पंजीकरण परमिट आदि के प्रमाण पत्र के बिना इस्तेमाल किए गए वाहन को हिरासत में लेने की शक्ति प्रदान करती है, उप-धारा (1) इस प्रकार प्रदान करती हैः

> "राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिकृत कोई भी पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति, यदि उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि मोटर वाहन का उपयोग धारा 3 या धारा 4 या धारा 39 के प्रावधानों के उल्लंघन में या इसके बिना किया जा रहा है धारा 66 की उप धारा (1) द्वारा आवश्यक परमिट या उस मार्ग से संबंधित ऐसे परमिट की किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर या जिस क्षेत्र में या जिस उद्देश्य के लिए वाहन का उपयोग किया जा सकता है, वाहन को जब्त और हिरासत में लिया जा सकता है। निर्धारित तरीके से और इस प्रयोजन के लिए वह वाहन की अस्थायी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए कोई भी कदम उठाएगा जिसे वह उचित समझे।"

प्रावधान इस प्रकार बताता हैः

> " बशर्ते कि जहां ऐसे किसी अधिकारी या व्यक्ति के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि एक मोटर वाहन का उपयोग धारा 3 या धारा 4 के उल्लंघन में या धारा 66 की उप धारा (1) द्वारा आवश्यक परमिट के बिना किया जा रहा है, तो वह ऐसा कर

सकता है कि वाहन को जब्त करने के बजाय, वाहन के पंजीकरण प्रमाण पत्र को जब्त कर लें और उसके संबंध में एक पावती जारी करें।"

अधिनियम की धारा 206 में अपराध को कम करने की शक्ति प्रदान की गई है। धारा 207 की उप-धारा (1) के आलोक में, यदि उस संबंध में अधिकृत अधिकारी की राय है कि वाहन का उपयोग अधिनियम के किसी भी पूर्वोक्त प्रावधानों या शर्तों के उल्लंघन में किया गया है या किया जा रहा है। जिस मार्ग पर या क्षेत्र से संबंधित परमिट जिसमें या जिस उद्देश्य के लिए वाहन का उपयोग किया जाता है, वह वाहन को जब्त कर सकता है और हिरासत में ले सकता है या अपराध को कम कर सकता है। धारा 207 के तहत प्राधिकृत अधिकारी को दी गई वैधानिक शक्ति अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना है। इसलिए, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, मांगा गया परमादेश जारी नही किया जा सकता।

याचिकाकर्ता के वरिष्ठ वकील श्री अरुण जेटली ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने वाहन मालिक से वाहन किराए पर लिया है, जिसके पास यात्रियों को एक गंतव्य से दूसरे स्थान तक ले जाने का अनुबंध परमिट था। वे रास्ते में यात्रियों को चढाने या बैठाने का कोई व्यक्तिगत किराया नही वसुल रहे है। वे यात्रियों को एक स्थान से उठा रहा है और उन्हे दूसरे गंतव्य पर भ्रमण के लिए ले जा रहा है और इसलिए, यह अधिनियम की धारा 2 (7) के अर्थ के तहत एक "अनुबंध गाड़ी" है। यह स्टेज कैरिज परमिट नहीं है, बल्कि कॉन्ट्रेक्ट कैरिज में से एक है और इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण कानून में सही नहीं है। यह सच है कि यदि वाहन का धारक प्राप्त करता है अनुबंध गाड़ी, मालिक एक यात्री या यात्रियों को अनुबंध पर किराए या इनाम के लिए ले जा सकता है, चाहे वह व्यक्त या निहित हो, ऐसे वाहन के उपयोग के लिए उसमे उल्लिखित यात्रियों की ढुलाई के लिए और धारक के साथ एक व्यक्ति द्वारा प्रवेश किया जा सकता है। ऐसे वाहन या उसके द्वारा इस संबंध में अधिकृत किसी

व्यक्ति के संबंध में एक निश्चित या सहमत दर या राशि पर परमिट। दूसरे शब्दों में, वही परमिट जो यात्रियों को ले जाने के लिए अनुबध प्रदान करता है, उसमें उन यात्रियों के नाम शामिल होने चाहिए जिन्हे एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य तक ले जाने के लिए किराया या इनाम के लिए रास्ते में बिना उठाए या बैठाए ले जाया जा सकता है, लेकिन जब कोई धारक हो परमिट एक और है और उन्हे यात्रियों को ले जाने और बनाने की अनुमति देता है अनुबंध परमिट के साथ संलग्न यात्रियों की सूची में उल्लिखित यात्रियों को अनुबंध गाड़ी के रुप में हटा देता है और यात्रियों को एक गंतव्य से दूसरे स्थान तक ले जाता है, यहां तक कि रास्ते में उठाए या बैठाए बिना भी, आवश्यक परिणाम यह होगा कि वाहन इसका उपयोग स्टेज कैरिज के रुप में किया गया है या किया जा रहा है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कैरिज के रुप में नही। उन परिस्थितियों में, जाहिर है, प्राधिकरण ने उल्लंघन के लिए वाहन को उचित रुप से हिरासत में लिया था-परमिट की शर्तों का विवरण, इसलिए, जैसा कि मांगा गया था, परमादेश फॉर, को उच्च न्यायालय द्वारा उचित रुप से अस्वीकार कर दिया गया था। विद्वान वकील ने मांगा धारा में एन. कृष्णसामी चेट्टी ए और अन्य में मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले पर निर्भरता। वी. लाइसेंसिंग अधिकारी एआईआर (1988) मद्रास 274। विद्वान न्यायाधीशों ने कानूनी स्थिति की सराहना नही की है। अतः उपरोक्त कानून के दृष्टिगत यह सही नही है।

तदनुसार विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाती है।

आर.पी याचिका खारिज।

राकेश सिन्हा